

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. (क) दिवंगत शासकीय सेवक का पूर्ण नाम :
- (ख) पदनाम :
- (ग) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवक पदस्थ था :
- (घ) मृत्यु दिनांक :
2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम :
- (ख) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध :
- (ग) स्थायी पता :
- (ध) वर्तमान पता :
- (ड़) जन्मतिथि अंकों में :
- शब्दों में :
- (च) आयु :
- (छ) धर्म :
- (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) । :
- (छ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :
- (ज) मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण :
- (ट) अन्य अर्हताओं का विवरण :
3. (1) दिवंगत शासकीय सेवक द्वारा छोड़ी गई तथा उसके आश्रित परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा धारित संपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति	चल संपत्ति
1. कृषि भूमि	हाथ ठेला
2. मकान	स्कूटर
3. दूकान	टेक्सी
4. फैक्ट्री	बस
5. अन्य	अन्य

- (2) चल/अचल संपत्तियों सहित स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का विस्तृत विवरण (दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के कारण परिवार को प्राप्त होने वाले उपादानों /पेंशन आदि को छोड़कर)

4. (क) दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण :-

स. क.	पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक के साथ संबंध	यदि सेवारत या व्यवसायरत हो तो उसका विवरण, सेवारत है तो शासकीय/ अर्धशासकीय या निजी सेवा	यदि सेवारत या व्यवसायरत हों तो उससे मासिक/ वार्षिक आय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

यदि दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो तो उसका विवरण

टीप:- आवेदक का मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय से हायर सेकेण्डरी अथवा महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यदि आवेदक को किसी ऐसे पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाना है जिसके लिये हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता निर्धारित है तो उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

घोषणा पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों में अधीन शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।
2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व. श्री _____ (दिवंगत शासकीय का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करूँगा/करूँगी । बाद में, किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकेपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : _____

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गयी है ।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके राजगार, आय एवं संपत्ति का जा विवरण दिया है उसका प्रमाणीकरण दिया है उसका प्रमाणिकरण कर लिया गया है ।
3. मैं पूर्ण जांचापरान्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है । साथ ही, दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

(जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)

नाम _____

कार्यालय का पता _____

टीप —आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावें :-

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।
2. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र ।
3. जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र ।
4. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी-मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र ।
5. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण-पत्र ।
6. मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय-महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी/स्नातक या अन्य परीक्षा करने का प्रमाण-पत्र ।